

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,
व्यवस्थापन "ख" वर्ग
लोक निर्माण विभाग उत्तराखण्ड देहरादून

Office of the Engineer in Chief, PWD, Dehradun Uttarakhand

Phone & Fax:- 0135-2530467,2530431, E-Mail-cepwdua @ gmail.com , Web- http://govt.ua.nic.in/pwd

पत्रांक 538/05 ब्यख-सा0/2018

दिनांक 09/जून/2018


::शुद्धि पत्र::

इस कार्यालय के ज्ञाप संख्या -525/05ब्यख -सा0/18 दिनांक-08.06.2017 द्वारा वृत्तीय संवर्ग के प्रशासनिक अधिकारी के स्थानान्तरण आदेश जारी करते हुए क्रमांक -4 पर अंकित नवीन तैनाती स्थान में टंकण त्रुटिवश 11वां वि0/यां0 वृत्त लो0नि0वि0 देहरादून के स्थान पर 09 वां वृत्त लो0नि0वि0 देहरादून टंकित हो गया है।

अतः उक्त आदेश को संशोधित करते हुए वृत्तीय संवर्ग में निम्न प्रशासनिक अधिकारी के स्थानान्तरण आदेश को निम्नानुसार पढ़े जाय।


क्र0 सं0	नाम/पदनाम	वर्तमान तैनाती	नवीन तैनाती	स्थानान्तरण किये जाने हेतु अधिनियम की धारा
1	2	3	4	5
1	श्री. घनश्याम नौटियाल, प्रशासनिक अधिकारी	सिविल वृत्त लो0नि0वि0 रुद्रप्रयाग	11वाँ वि0/यां0 वृत्त लो0नि0वि0 देहरादून	धारा 17 (1) (ख) (पांच) के अन्तर्गत अनुरोध के आधार पर

5. सम्बन्धित कार्मिक को निर्दिष्ट किया जाता है कि यह आदेश जारी किये जाने की तिथि से एक सप्ताह के अन्तर्गत प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यमुक्त होना सुनिश्चित करेंगे तथा स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने के 10 दिन के अन्तर्गत नवीन तैनाती स्थल पर कार्यभार ग्रहण किया जाना अनिवार्य होगा।
6. सम्बन्धित अधिकारी स्थानान्तरित कार्मिक को तत्काल कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करे।
7. सम्बन्धित वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी को कार्यालय आदेश की प्रति इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नवीन तैनाती के स्थान पर यथासमय योगदान न करने पर उनका वेतन आहरण पूर्व की तैनाती के स्थान से रोक दिया जाय।
8. स्थानान्तरित किये गये कार्मिक के द्वारा नवीन तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध स्थानान्तरण अधिनियम 2017 की धारा 24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।


(सत्येन्द्र शर्मा)
मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1 प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष महोदय, लो0नि0वि0 देहरादून के संज्ञानार्थ।
- 2 मुख्य अभियन्ता क्षेत्रीय कार्यालय लो0नि0वि0 पौड़ी/देहरादून।
- 3 अधीक्षण अभियन्ता, सिविल वृत्त, लो0नि0वि0 रुद्रप्रयाग।
- 4 अधीक्षण अभियन्ता, 11 वाँ वि0/यां0 वृत्त, लो0नि0वि0 देहरादून।
- 5 मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी.....।
- 6 श्री घनश्याम नौटियाल, प्रशासनिक अधिकारी कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता, सिविल वृत्त लो0नि0वि0 रुद्रप्रयाग।
- 7 गार्ड पत्रावली।


मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय)
